E-Mail

542/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / भू.अ. / NLRMP/ F-122/ 1330 दिनांकः– 09-07-18

आयुक्त,
भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप कार्य के संबंध में।
प्रसंगः– बैठक दिनांक 19.06.2018 में लिए निर्णय के पालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मण्डल द्वारा **DILRMP** के तहत खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य करवाया जा रहा है जिसके कम में दिनांक 19.06.18 कार्य की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। फर्मो के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि **RFP** में डिजिटाइजेशन कार्य हेतु भू–प्रबन्ध विभाग की शीटों का उल्लेख है किन्तु जिलों में कई गांवों में भू–प्रबन्ध विभाग की शीटे उपलब्ध नहीं है तथा उन गांवों में मोमिया / लट्ठा शीटे है जिनका आकार में **RFP** उल्लेखित आकार **A0/A1** से बडा होने के कारण एक शीट का **Out-Put** देते समय कई शीटे होती है जिससे उनके लिए पृथक से भुगतान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि एक गांव से पृथक हो कर दो या अधिक गांव बनने से भी पृथक–पृथक गावं की शीटों के अनुसार ही **Out-Put** दिए जाने के कारण शीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसी अतिरिक्त शीटों के लिए अतिरिक्त भुगतान हेतु सभी फर्मो के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई।

उप–वित्तीय सलाहकार, राजस्व मण्डल फर्मो के प्रस्ताव के कम में **RFP** के बिन्दु संख्या 4.2 में दिये गये विवरणानुसार कार्य करवाए जाने का सुझाव देते हुए **Mother map** की साईज के बारे में भू–प्रबंध विभाग से मार्गदर्शन लिये जाने का सुझाव दिया तदनुसार फर्म की मांग उचित पाए जाने पर निर्णय लिया जा सकें।

फर्मो की मांग पर यथोचित विचार कराते हुए भू–प्रबन्ध संक्रियाओं की समाप्ति उपरान्त उपलब्ध करवाए गये **Mother map** की मानक साईज के बारे सूचना प्रदान करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर